26/2017/638/33-3-2017-339/2016
संख्या–

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
2. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ, दिनांक: 10 अप्रैल, 2017**

विषय– दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को प्रदेश मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं समस्त ग्राम पंचायतों में विमुद्रीकरण/डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–17/2017/484/33–3–2017–339/2016, दिनांक 30 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्न) तथा अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,उ.प्र. शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–906/78–2–2017 –193आई.टी./2016, दिनांक 03 अप्रैल, 2017 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 'विमुद्रीकरण' संबंधी प्रदेश स्तर पर जागरूकता अभियान एवं पंचायत प्रतिनिधियों /कर्मचारियों के प्रशिक्षण आयोजन करने तथा दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को प्रदेश मुख्यालय, जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं समस्त ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेन्ट को बढावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के पत्र डी0ओ0नं0 एम–11099/18/2016– डीएम एण्ड ए, दिनांक 25/03/2017 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से डिजी–धन मेलों के अन्तर्गत लकी ग्राहक योजना (एलजीवाई) तथा डिजी–धन व्यापार योजना (डीवीवाई) द्वारा प्रदेश के नागरिकों एवं व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्टस करने के लिए प्रदेश में आयोजित डिजी–धन मेलों में डिजी–धन व्यापार योजना अन्तर्गत लकी–ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया जा रहा है।

2. प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को प्रोत्साहित करने हेतु डिजी–धन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों के अन्तर्गत दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 से 14 अप्रैल, 2017 के मध्य देश के अलग–अलग 100 शहरों में लकी ग्राहक योजना

(एलजीवाई) एवं डिजी–धन व्यापार योजना (डीवीवाई) का आयोजन किया जा रहा है।

3. प्रदेश में डिजी–धन मेलों के सफल आयोजन के उपरान्त दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लकी ग्राहक योजना के अन्तर्गत मेगा लकी ड्रा का आयोजन तथा डिजिटल पेमेन्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

4. डिजिटल पेमेन्ट्स के वृहद प्रचार–प्रसार एवं अधिक से अधिक नागरिकों/व्यापारियों के मध्य जागरूकता हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को अपराह्न 12:25 बजे से 13:40 बजे के मध्य किये जाने वाले ''राष्ट्रीय कार्यक्रम'' को दूरदर्शन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में सीधा प्रसारित किया जाएगा।

5. दिनांक 14 अप्रैल, 2017 को अपराह्न प्रसारित होने वाले सम्बोधन को प्रदेश मुख्यालय/जनपद/तहसील/ग्राम पंचायत स्तर तक सभी अधिकारी/कर्मचारी/ग्राम पंचायत वासी सुने इसके लिए आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है :–

- निदेशालय स्तर पर बड़े हॉल/ऑडिटोरियम में एल.सी.डी. एवं बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की जाए।
- कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पं.) तथा सचिव, ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर ग्राम सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारित होने वाले सम्बोधन को सभी जन सामान्य द्वारा देखे जाने संबंधी उचित व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया जाए।
- सभी ग्राम पंचायतों पर सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान एवं वार्ड सदस्यों से चर्चा कर ग्राम सभा का आयोजन करते हुए उक्त कार्यक्रम का आयोजन कराया जाये तथा एक बड़ा टी.वी. लगवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का प्रसारण जन सामान्य को सीधा दिखाने की व्यवस्था करायी जाए।
- उक्त कार्यक्रम में स्थानीय व्यवसायिक संगठनों, छात्रों, किसान संगठनों, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों, युवा संगठनों, व्यापारिक संगठनों एवं स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों आमंत्रित किया जाए।
- ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन सम्बंधी गतिविधियों एवं व्यवस्था हेतु ग्राम प्रधान को जन सेवा केन्द्र के प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा भीम एप्लीकेशन (BHIM App) तथा आधार–पे एप्लीकेशन (Aadhaar Pay App) का 3x5 का बैनर बनवाकर ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में और यदि पंचायत भवन नहीं है तो किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थायी रूप में लगाया जायेगा।
- कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी(पं.) द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जाना होगा।

- अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–906/78–2–2017 –193आई.टी./2016, दिनांक 03 अप्रैल, 2017 के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु समस्त व्यय का वहन नीति आयोग, भारत सरकार से समस्त जनपदों को प्राप्त धनराशि रू0 5.00 लाख (बडे जनपदों को रू0 10.00 लाख) से किया जायेगा यदि इसके अतिरिक्त अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है तो ग्राम पंचायत स्तर के आयोजन में आने वाले व्यय का वहन 14वें वित्त के प्रशासनिक मद की धनराशि से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

उक्त आयोजन से सम्बन्धित वीडियो/कन्टेन्ट इत्यादि यू.आर.एल. "http://niti.gov.in/content/digital-payments" पर उपलब्ध है। उक्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए श्री विश्वदीप श्रीवास्तव, हेड, एस.ई.एम.टी. (मोबाइल नम्बर–7838431761 एवं ई–मेल vishwadeeps@meity.gov.in) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आयोजन के पश्चात् कार्यक्रम संबंधी आवश्यक विवरण यथा– कार्यक्रम की फोटोग्राफ, विडियो, आयेजन करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या आदि तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
4. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ.प्र.।
5. समस्त सहायक विकास अधिकारी(पं0), उ.प्र.।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।